अंधविश्वास की त्रासदी में फंसा देश

इससे बड़ी विडंबना और या हो सकती है कि जिस दिन विज्ञान की दुनिया में 'चंद्रयान-2' के सफल प्रक्षेपण के रूप में देश ने बड़ी उपलधि हासिल की, उसी दौरान झारखंड से अंधविश्वास की वजह से चार लोगों को बर्बरता से मार डालने की परेशान करने वाली खबर आई। राज्य में गुमला जिले के सिसकारी गांव में दो महिलाओं सहित चार बुजुर्ग आदिवासियों को लोगों ने इसलिए पीट-पीट कर ार डाला योंकि किसी तांत्रिक या ओझा ने उन्हें 'डायन' बता दिया। इसके अलावा, पिछले हते झारखंड के ही गिरिडीह में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को मानव मल खाने पर मजबूर किया गया। दोनों ही घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरतार किया है। ऐसे मामलों के तूल पकड़ने के बाद इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं। सवाल है कि उनका हासिल या है? आमतौर पर ऐसी हर घटना के बाद कानून अपना काम करता है और आरोपियों को गिर तार करके कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। मुश्किल यह है कि सोच-समझ व मानसिकता में गहरे पैठी जड़ताओं से जुड़ी इस समस्या की मूल वजहों को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है।

झारखंड में हुई ये घटनाएं कोई नई नहीं हैं। 'डायन' होने के अंधविश्वास की वजह से इस तरह किसी को मार डाले जाने या मानव मल खिलाने के मामले अ सर सामने आते रहे हैं। इस पर काबू पाने के मकसद से सत कानूनी प्रावधान भी किए गए, लेकिन आज भी अगर यह अंधविश्वास बदस्तूर कायम है तो यह न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की नाकामी भर है, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि विकास की चमकती तस्वीर में सामाजिक जड़ताओं की जंजीरों को तोड़ने के मुद्दे किस तरह दरकिनार हैं। सिसकारी गांव में कुछ लोगों की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। लोगों को लगा कि गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है और इस मुद्दे पर बाकायदा एक सभा या पंचायत की बैठक की गई और किसी ओझा से संपर्क किया गया। फिर उसी की सलाह के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि गांव वालों ने चार लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी।

झारखंड के गुमला जिले के सिसकारी गांव में दो महिलाओं सहित चार बुजुर्ग आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या की घटना कोई नई नहीं हैं। 'डायन' होने के अंधविश्वास की वजह से इस तरह किसी को मार डाले जाने या मानव मल खिलाने के मामले सामने आते रहे हैं। अंधविश्वासों को दूर करना है, तो शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक शिक्षा के रास्ते बढ़ाना होगा।

गिरिडीह में भी तीन लोगों को मानव मल खिलाने के पीछे ठीक इसी तरह का अंधविश्वास है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के अंधविश्वासों के बने रहने के पीछे मुय वजह अशिक्षा और गरीबी है। अभाव के बीच अशिक्षा की हालत में लोग इतना भी समझ पाने में सक्षम नहीं होते कि अगर कोई व्यति बीमार है तो उसे डॉटर से इलाज कराने की सत जरूरत है। कई स्तर पर आधुनिक तकनीकी दूरदराज के इलाके में पहुंच जाती है, बदहाल स्कूलों में कभी किताब की श ल में शायद विज्ञान भी पढ़ा दिया जाता हो, लेकिन चेतना के स्तर पर सोच में बदलाव लाने और वैज्ञानिक दृष्टि के विकास की कोशिश नहीं होती। यह बेवजह नहीं है कि न केवल झारखंड या दूरदराज के इलाकों, बल्कि शहरों में भी 'डायन' या फिर भूत-प्रेत जैसी अंधविश्वास पर आधारित धारणाएं लोगों के बीच जड़ें जमाए रहती हैं। यह वैज्ञानिक सोच के अभाव का नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर ओझा-तांत्रिकों का जाल फैला हुआ है और अंधविश्वास समाज के कमजोर तबकों के लिए त्रासदी साबित हो रहा है। सवाल है कि लंबे समय से गंभीर समस्या के रूप में कायम रहने के बावजूद सरकार को इस पर काबू पाने के लिए ठोस व कुछ साहसपूर्ण कदम उठाने की जरूरत या इसलिए महसूस नहीं होती कि इन अंधविश्वासों की मार सहने और मरने वाले लोग समाज के बेहद कमजोर तबके से आते हैं? याद होगा कि महिलाओं के चोटी काटने की अफ वाह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से फैलकर अन्य राज्यों के सुदूर इलाकों तक पहुंच गई थी और इस अफवाह की वजह से झारखंड में एक महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। देखा जाए तो इंसान का दिमाग एक विचित्र-सी चीज है। हम जो कुछ भी देखते-समझते हैं, इसमें काफी सारे पेच होते हैं, जो देखने-समझने से जुड़े आचरण का निर्माण करते हैं। हमारे दिमाग में अंधविश्वासों का पुलिंदा भरा हुआ है। यही वजह है कि आज विज्ञान का युगहोने के बावजूद भी हमारे समाज में अंधविश्वास हावी है। साल-दो-साल या फिर पांच-दस साल मेंअजीब सी कोई चीज या घटना आ ही जाती है, जो हमारे जनमानस के अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। कभी मुंहनोचवा तो कभी चोटीकटवा की घटनाएं उसी अंधविश्वास का ही परिणाम हैं। इन सबके पीछे गहरे स्तर पर सामाजिक परिस्थितियां या होती हैं, इसके लिए राजनीतिक परिस्थितियां कितनी जि मेदार हैं, अंधविश्वास का अस्तित्व या है, इसमें किसी व्यति या समूह की कितनी शरारत है, इन सब पर एक अध्ययन की जरूरत है, योंकि ऐसी घटनाओं के होने के ठोस कारणों के बारे में कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। हम आज विज्ञान और तक नीक के मामले में तरकी के रास्ते पर हैं। विज्ञान ने बहुत से गंभीर रहस्यों को खोज निकाला है, फिर भी समाज में अंधविश्वास हावी दिखता है। इसकी वजह भी यही है कि हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज की खामी है कि वह अपने बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।

हम विज्ञान और तकनीक की चकाचौंध को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन खुद वैज्ञानिक तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। वैज्ञानिकता का हमारा स्तर बढ़ नहीं पाता है। यही वजह है कि कभी-कभार हमारे समाज में चोटीकटवा जैसी घटनाएं समाज की दशा और दिशा को प्रभावित करने लगती हैं। फिर चाहे जमीन में गड़ी मूर्ति अचानक प्रकट हो जाती है या फिर अचानक किसी और जगह मूर्ति पैदा हो जाती है। उसके बाद तो वहां धीरे-धीरे चबूतरा बन जाता है, जो आगे चलकर देवस्थान का रूप धारण कर लेता है। इसी बीच माज की कुछ शतियां इसे बाजार में परिवर्तित कर देती हैं और लोगों की भोली-भाली संवेदनाओंसे खेलने लगती हैं।

जहां तक इसको बढ़ाने में धर्म और आस्था का हाथ होने का सवाल है, तो धर्म की आड़ में अंधविश्वास को फैल ाने में काफी मदद मिलती है।

चूंकि धर्म और आस्था पर सवाल नहीं उठाया जासकता और न ही

उसका विरोध किया जा सकता है, इसीलिए धर्म की आड़ में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलने लगता है। हमारे समाज में ऐसी स्थिति न पनपने पाए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक पद्धति वाला बनाया जाए, ताकि लोग अपने जीवन में वैज्ञानिक आचरण करने लगें।

सिर्फ वैज्ञानिक आचरण ही ंधविश्वास को खत्म कर सकता है। हमारे संविधान में यह दर्ज है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। इसलिए जरूरी है कि अपने कर्तव्यों का वैज्ञानिक आचरण के साथ पालन करें। जब ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तभी हम भ्रम में आकर अंधविश्वासों पर यकीन करने लग जाते हैं और अंधविश्वासों के बाजार का शिकार हो जाते हैं। अंधविश्वासों को दूर करना है, तो शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक शिक्षा के रास्ते आगे बढ़ाना होगा। **नवीन जिंदल (स्वतंत्र लेखाकार)**

सम्पादकीय

आतंक पर केंद्र का बड़ा प्रहार

एनआई बिल के बाद सरकार ने आतंकियों की संपा जत करने वाला कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सुखद यह है कि विपक्ष भी इस मामले में केंद्र सरकार के साथ है। बिल लोकसभा में पास हो चुका है। यह कानून आतंकवाद की कमर तोड़ देगा, संदेह नहीं।

द अनलॉफुल ऐ टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल 2019 यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। यह विधेयक ऐसे समय पास किया गया है, जब भारत लगातार आतंकियों के निशाने पर है और सुरक्षा बलों या खुफिया एजेंसियों की एक गलती भारी पड़ सकती है। बहरहाल, नआईए को ताकत देने के बाद यह कानून आतंकवाद की कमर तोड़ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आतंकवाद की रीढ़ फंडिंग होती है। अगर आतंकवाद को आर्थिक मदद मिलनी या आतंकियों की संपा जत करनी शुरू कर दी जाए, तो काफी हद तक सफलता मिल सकती है। ऐसा हम कश्मीर में पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं के रूप में देख चुके हैं। सरकार ने अलगाववादियों पर हर तरह से नकेल कसी तो आज कश्मीर घाटी से पत्थरबाज गायब हो गए हैं। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया है और इसका जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया, उसे देखते हुए इस विधेयक के राज्यसभा में बिना बाधा पास होने की उमीद है।

अगर कानून पर नजर डालें, तो अब संगठनों के साथ-साथ व्यतियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। कानून में इसका प्रावधान यों करने की जरूरत पड़ी, इसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया। शाह ने आतंकी यासीन भटकल का उदाहरण देते हुए कहा कि एनआईए ने उसके संगठन इंडियन मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया था लेकिन भटकल को आतंकवादी घोषित करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि इसी का फायदा उठाते हुए भटकल ने कुल 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। संशोधित कानून के तहत केंद्र सरकार ऐसे संगठनों या व्यतियों को आतंकी संगठन या आतंकी घोषित कर सकती है, जो आतंकी कृत्य को अंजाम दिए हों या उनमें शामिल हो, आतंकवाद ` लिए तैयारी कर रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों या आतंकवाद में किसी भी तरह से शामिल रहे हों। संशोधित कानून के तहत आतंकी संगठनों या आतंकियों की संपायां जत भी हो सकेंगी। इसके लिए जांच अधिकारी को संबंधित राज्य के डीजीपी की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी। अगर मामले की जांच एनआईए का कोई अफसर कर रहा हो तो संबंधित संपा को जत करने के लिए संबंधित राज्य के डीजीपी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए बस एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी काफी होगी। मोदी सरकार कई मौकों पर जोर देकर कहती आई है कि आतंकवाद पर उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है।

एनआईए बिल को पहले ही लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल के तहत एनआईए को दूसरे देशों में भी भारत के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार मिल गया है। इन दो बिलों के बाद आतंकवाद की कमर टूटनी तय है।